भारत के असाधारण राजपत्र, भाग III प्रकाशन के लिए

भाग 4

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

अधिसूचना

फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकपूर्व डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान अध्यादेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2021

फा. सं. निफ्ट/डीसी/06-07/42-राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान अधिनियम, 2006 (2006 का 28) की धारा 27 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सिनेट ने 13 अप्रैल, 2007 को हुई अपनी पहली बैठक में स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकपूर्व डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के लिए अध्यादेश बनाए जिन्हें उक्त धारा की उप-धारा (2) और (3) के निबंधनों के अनुरूप बोर्ड द्वारा 16 अप्रैल, 2007 को हुई उसकी पहली बैठक में अनुसमर्थित किया गया ।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।	1.	(1)	इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी संस्थान स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम अध्यादेश, 2007 है।
		(2)	ये 13 अप्रैल, 2007 से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं। **इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,-**	2.	(1)	**शैक्षिणिक** से अभिप्रेत है शिक्षण और शोध से संबंधित क्रियाकलाप:
		(2)	**शैक्षिणिक कैलेण्डर** में शमिल है विभिन्न शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए तारीखें:
		(3)	**शैक्षणिक नियमावली** से अभिप्रेत है शैक्षणिक मामलों में नियमों और विनियामों का संकलन:
		(4)	**शैक्षणिक योजना** से अभिप्रेत है विभाग की शैक्षणिक योजना जिसमें शैक्षणिक कार्यभार और सेमेस्टरों में प्रदान किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के श्रेयांकशामिल हैं:
		(5)	**शैक्षणिक कार्यक्रम** में शामिल है शैक्षणिक क्रियाकलापों की श्रृखंलाजिसके फलस्वरूप कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्राप्त होता है:
		(6)	**शैक्षणिक सत्र** से अभिप्रेत है ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ दो नियमित सेमेस्टर (शरत और वसंत):
		(7)	**आवेदक** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति-विशेष जो संस्थान में किसी स्नातकपूर्व, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कार्यक्रम के लिए आवेदन करता है:
		(8)	**केन्द्र** से अभिप्रत है नई दिल्ली, गांधीनगर, चैन्नई, मुबंई, हैदराबादबंगलौर, कोलकाता में स्थित संस्थान का केंद्र अथवा शासी मंडल द्वारा यथानिर्णित भारत या विदेाश में कोई अन्य स्थान:
		(9)	**सर्टिफिकेट** से अभिप्रेत है संस्थान द्वारा एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया कोई कार्यक्रम जैसा सिनेट, शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए:
		(10)	**दीक्षांत-समारोह** से संस्थान का दीक्षांत-समारोह अभिप्रेत है:
		(11)	**पाठ्यक्रम** में शामिल है शीर्षकों की श्रृंखला जिन्हें किसी सेमेस्टर के दौरान कवर किया जा सकता है:
		(12)	**किसी कार्यक्रम की पाठ्यचर्या** से अभिप्रेत है पाठ्यक्रमों तथा अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का एक विनिर्दिष्ट सेट:
		(13)	**डिग्री** से अभिप्रेत है स्नातक डिग्री अर्थात फैशन प्रौद्योगिकी निष्णात तथा संस्थान की एक अन्य डिग्री जो सिनेट, शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाए:
		(14)	**डिप्लोमा** से अभिप्रेत है संस्थान द्वारा प्राप्त किया गया एक वर्ष से

			अधिक परंतु दो वर्ष से अधिक अवधि का कार्यक्रम जो सिनेट, शैक्षणिक मामलोंसंबंधी समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए:
		(15)	**वैकल्पिक** से अभिप्रेत है विशेषज्ञता क्षेत्र में प्रदान किए गए विषय:
		(16)	**समेस्टर-समाप्ति** परीक्षा से अभिप्रेत है किसी सेमेसटर की समाप्ति पर विनिर्दिष्ट तारीखों के दौरान आयोजित परीक्षा:
		(17)	**परीक्षा** से अभिप्रेत है किसी विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रदर्शन को मूल्यांकित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति:
		(18)	**ग्रेड** से अभिप्रेत है अंकीय ग्रेड जिसमें किसी पाठ्यक्रम में किसी छात्र के समग्र प्रदर्शन को दर्शाया गया हो:
		(19)	**जूरी** से अभिप्रेत है मूल्यांकन प्रयोजन के लिए संकाय और/अथवा विशेषज्ञों का पैनल:
		(20)	**परामर्शक** से अभिप्रेत है संस्थान से संबंधित शैक्षणिक और अन्य मामलों पर किसी छात्र को परामर्श देने कि जए विभाग अथवा केंद्र द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई संकाय:
		(21)	**मध्यावधि** परीक्षा से अभिप्रेत है सेमेस्टर के मध्य के दौरान अयोजित परीक्षा:
		(22)	**संयमन** नीति से अभिप्रेत है किसी सेमेस्टर में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पदान किए गए ग्रेडों को संयत करने के लिए संस्थान की संयमन नीति:
		(23)	**पुन: परीक्षा** से अभिप्रेत है किसी सेमेस्टर के परिणामों की घोषणा के पश्चात ऐसे छात्रों के लिए ओयोजित की गई परीक्षा जो निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल रहे थे अथवा उसमें बैठ नहीं पाए थे।
		(24)	**विद्यार्थी** से अभिप्रेत है पूर्णकालिक अध्ययन के लिए किसी ऐसे स्नातकोत्तर या स्नातकपूर्व या डिप्लोमा कार्यक्रम, जिसके फलस्वरूप, यथास्थिति, निष्णात डिग्री या स्नातक डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होता हो, कि लिए पंजीकृत कोई विद्यार्थी तथा इसमें ऐसा विद्यार्थी भी शामिल होगा जो संस्थान के पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सर्टिफिकेट कार्यक्रम के लिए पंजीकृत है:
		(25)	**विद्यार्थी ट्विनिंगकार्यक्रम** से अभिप्रेत है अंर्तराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एक सेमेस्टर से लेकर एक वर्ष की अवधि तक के लिए हो सकने वाला विद्यार्थी ट्विनिंग अथवा विनिमय कार्यक्रम:

कार्यक्रम स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	3	(1)	(क)	संस्थान ऐसे स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा और ऐसी न्यूनतम अवधि के लिए कराएगा जो बोर्ड या तो स्वयं अपनी अथवा सिनेट की पहल पर शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति की सिफारिश पर अनुमोदित करेगा: परंतु स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली ऐसे कार्यक्रमों को सिफारिश करेगी।
			(ख)	संस्थान के सभी डिग्री कार्यक्रमों के लिए अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम अध्यादेश 15 के अधीन यथानिर्धारित और संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित विनियमों में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
			(ग)	किसी नए कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए पद्धति, कार्यक्रम की नामावली में परिवर्तन, किसी कार्यक्रम को अस्थायी रूप से निलंबित करना अथवा किसी कार्यक्रम को समाप्त करना इस प्रकार किया जाएगा, जैसे सिनेट द्वारा बोर्ड को की गई सिफारिश के अनुसार विनियमों में निर्धारित किया गया है। प्रक्रिया तथा पद्धतियां वैसी होंगी, जैसी अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित किया गया है।
			(घ)	स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्हता होगी, जैसी अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित की गई है।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(2)	(क)	संस्थान सिनेट के माध्यम से शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति

			के विचार और अनुमोदन के लिए महानिदेशक, निफ्ट द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए अनुसार ऐसे स्वतंत्र डिप्लोमा कार्यक्रम जैसे उद्योगोनुमुखी, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर सकेगा जो एक विभाग द्वारा पूर्णकालिक अथवा अन्य विभागों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित हो: परंतु यह कि स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली ऐसे सभी कार्यक्रमों की सिफारिश करती हो। (ख) संस्थान के सभी डिप्लोमा कार्यक्रामों के लिए अध्ययन के विस्तृत पाठ्यक्रम अध्यादेश 15 के अधीन यथानिर्धारित और संस्थान की विवरणिका अथवा समय-समय पर इन कार्यक्रमों के लिए तैयार किए गए ब्रोशर में प्रकाशित विनियमों में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(3)	(क) संस्थान सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शाम को अथवा सप्ताहांतों पर और अवकाश के दौरान ऐसे स्वतंत्र कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकेगा, जैसे स्थानीय शैक्षकिणक मानक समिति द्वारा अनुसंशित और महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किए जाएं: परंतु यह कि स्थायी अंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली ऐसे सभी कार्यक्रमों की सिफारिश करती हो। (ख) संस्थान अन्य संस्थानों, संगठनों और उद्योग के साथ संयुक्त रूप से ऐसे अल्पकालिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर सकेगा जैसीकि अध्यादेश -15 के अधीन बनाए गए तथा कार्यक्रमों के लिए विवरणिका अथवा समय-समय पर तैयार किए गए ब्रॉशर में प्रकाशित विनियमों में निर्धारित पद्धति के अनुसार स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति द्वारा सिफारिश की गई है
प्रवेश स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	4	(1)	(क) संस्थान के विभिन्न डिग्री कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को सभी श्रेणियों के लिए प्रवेश की अपेक्षाएं और पद्धतियां वैसी होंगी, जैसी सिनेट द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनियमों में निर्धारित की गई है। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) किसी विद्यार्थी को विषयक्षेत्र और केंद्र का आवंटन विद्यार्थी के अधिमान के अनुसार मेरिट तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर संस्थान द्वारा काउंसलिंग के समय पर किया जाएगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) संस्थान में किसी कार्यक्रम में अनंतिम रूप से अथवा अन्यथा प्रवेश दिया गया प्रत्येक विद्यार्थी अर्हक डिग्री/अनंतिम सर्टिफ्किेट की प्रतियां अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जो सिनेट द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।ये दस्तावेज विनिर्दिष्ट तारीख तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट में निर्धारित किया जाएगा। (घ) किसी ऐसे छात्र, जो या तो विनिर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है अथवा प्रवेश के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहता है, का अनंतिम अथवा प्रवेश सिनेट द्वारा रद्द किया जा सकता है विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ङ) किसी विद्यार्थी का प्रवेश सिनेट बाद में किसी भी समय रद्द भी किया जा सकेगा यदि यह पाया गया कि विद्यार्थी ने प्रवेश प्राप्त करते समय कोई गलत जानकारी प्रस्तुत की है अथवा किसी प्रासंगिक जानकारी को छिपाया है। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनयमों में निर्धारित किया जाएगा।

			(च) संस्थान किसी भी लिंग अथवा किसी भी नस्ल, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए खुला होगा और विद्यार्थीयों को प्रवेश देते समय धार्मिक आस्था या व्यवसाय के संदर्भ में कोई परीक्षण या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी। (छ) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सीटों का आरक्षण विनियम को अनुसार होगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। यदि शिथिल प्रवेश मानदण्डों के बावजूद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गो और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के लिए आरक्षित सभी सीटे नहीं भरी जाती है, तो ये बिना भरी हुई ही रहेंगी।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(2)	विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य विवरण ऐसे होंगे, जैसे अध्यादेश 15 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किए गए हैं।
सर्टिफ्किेट कार्यक्रम		(3)	विभिन्न सर्टिफ्किेट कार्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया तथा अन्य विवरण ऐसे होंगे, जैसे अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किए गए हैं।
शुल्क स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	5	(1)	(क) संस्थान सिनेट का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में विभिन्न संघटकों के लिए विद्यार्थियों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क पर निर्णय ले सकेगा। शुल्क को सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) एक या अधिक संघटकों के लिए शुल्क का संशोधन स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-विद्यार्थी मामले की सिफारिश पर तथा सिनेट द्वारा अनुमोदित किए जाने पर शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकेगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) शुल्क से संबंधित सभी मामले जब कभी विद्यार्थीयों की जानकारी के लिए अपेक्षित हों, अधिसूचित किए जाएंगें। (घ) छात्रावास में निवास के संदर्भ में विद्यार्थियों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का निर्णय स्थानीय शैक्षणिक मानक समितियों की सिफारिश तथा सिनेट के अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(2)	(क) संस्थान सिनेट को अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शैक्षिणिक वर्ष के आरंभ में विभिन्न संघटकों के लिए विद्यार्थीयों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क पर निर्णय ले सकेगा। शुल्क को सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) एक या अधिक संघटकों के लिए शुल्क का संशोधन स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-विद्यार्थी मामले की सिफारिश पर तथा सिनेट द्वारा अनुमोदित किए जाने पर शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी भी समय किया जा सकेगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) शुल्क से संबंधित सभी मामले जब कभी विद्यार्थियों की जानकारी के लए अपेक्षित हों, अधिसूचित किए जाएंगे। (घ) छात्रावास में निवास के संदर्भ में विद्यार्थियों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का निर्णय स्थानीय शैक्षणिक मानक समितियों की सिफारिश तथा सनिट के अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
सर्टिफ्किेट कार्यक्रम		(3)	(क) संस्थान सिनेट का अनुमोदन प्रापत करने के पश्चात शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में विद्यार्थियों से प्रभारित किए जान वाले शुल्क

			पर निर्णय ले सकेगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) छात्रावास में निवास के संदर्भ में विद्यार्थियों से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का निर्णय स्थानीय शैक्षणिक मानक समितियों की सिफारिश तथा सिनेट के अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा। इस अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
पंजीकरण स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	6	(1)	(क) स्नातकपूर्व अथवा स्नात्कोत्तर कार्यक्रम में आंरभिक पंजीकरण की तारीख सामान्यत: वह होगी जिसको विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात प्रथम वर्ष में पहली बार औपचारिक रूप से पंजीकृत हुआ है इस तारीख को सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए कार्यक्रमों में शामिल होने की तारीख के रूप में माना जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों मे निर्धारित किया जाएगा। (ख) सिनेट वह समामान्य अधिकतम अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके भीतर प्रत्येक कार्यक्रम अवश्य ही पूरा किया जाना है। तथापि, जो विद्यार्थी अधिकतम अवधि के भीतर भी अपने कार्यक्रम को पूरा करने में असफल रहते है, उन्हें प्रत्येक मामले की मेरिट पर कार्यक्रम जारी रखने के लिए सिनेट द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) किसी भी विद्यार्थी से अपेक्षित होगा कि सामान्यत: प्रत्येक लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल कक्षा में उपस्थित रहे। तथापि, विलंब से पंजीकरण, बीमारी या ऐसी अन्य आकस्मिकता के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकेगी जैसाकि विनियमों में उपबंधित है। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (घ) पंजीकरण तथा पुन:पंजीकरण का पद्धतियां सिनेट के अनुमोदन के पश्चात विनियमों में निर्धारित की जाएंगी तथा इन्हें समय-समय पर विद्यार्थी नियम पुस्तिका में अधिसूचित किया जाएगा।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(2)	(क) डिप्लोमा कार्यक्रमों में आरंभिक पंजीकरण की तारीख सामान्यत: वह होगी जिसको विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात प्रथम वर्ष में पहली बार औपचारिक रूप से पंजीकृत हुआ है इस तारीख को सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए कार्यक्रमों में शामिल होने के रूप में माना जाएगा। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) सिनेट वह सामान्य अधिकतम अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके भीतर प्रत्येक कार्यक्रम अवश्य ही पूरा किया जाना है। तथापि, जो विद्यार्थी अधिकतम अवधि के भीतर भी अपने कार्यक्रम को पूरा करने में असफर रहते हैं, उन्हें प्रत्येक मामले की मेरिट पर कार्यक्रम जारी रखने सिनेट द्वारा अनुमति दी जाएगी। इसे अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) किसी भी विद्यार्थी से अपेक्षित होगा कि वह सामान्यत: प्रत्येक लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल कक्षा में उपस्थित रहे। तथापि, विलंब से पंजीकरण, बीमारी या ऐसी अन्य आकस्मिकता के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकेगी जैसाकि विनियमों में उपबंधित है। विवरणों को अध्यादेश 15 कि अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (घ) पंजीकरण तथा पुन:पंजीकरण की पद्धतियां सिनेट के अनुमोदन के पश्चात विनियमों में निर्धारित की जाएंगी तथा इन्हें समय-समय पर विद्यार्थी नियम पुस्तिका में अधिसूचित किया जाएगा।
सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(3)	विभिन्न सर्टिफिकेट कार्यक्रमों की पंजीकरण और पुन:पंजीकरण की पद्धति यह होगी, जैसाकि अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट

			विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
शैक्षिणक कलेण्ड़र स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	7	(1)	(क) शैक्षणिक सत्र के दौरान निर्धारित महत्वपूर्ण शैक्षणिक क्रियाकलापों के लिए सटीक तारीखें शैक्षणिक कैलेण्ड़र में निर्दिष्ट की जाएंगी तथा विद्यार्थियों, संकाय और अन्य की जानकारी के लिए अधिसूचित की जाएगी। विशेष रूप से, निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए तारीखें विनिर्दिष्ट की जाएगी:- - अभिमुखीकरण, पंजीरकरण - सेमेस्टर शुल्क का भुगतान - कक्षाओं का आरंभ - परीक्षा (जूरी/मौखिक सहित) - मध्यावधि परीक्षा - पुन:परीक्षा - परिणामों की घोषणा - इंटर्नशिप, क्षेत्रीय दौरे - अवकाश, सेमेस्टर के मध्य अवकाश। (ग) शैक्षणिक कैलेण्ड़र अथवा संत्र के दौरान उसमें किसी परिवर्तन के लिए स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली की सिफारिशों पर सिनेट का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। विवरणों को अध्यादेश इसे अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(2)	विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमो के लिए शैक्षणिक कैलेण्ड़र ऐसा होगा, जैसा अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
सिर्टिफिकेट कार्यक्रम		(3)	विभिन्न सिर्टिफिकेट कार्यक्रमो के लिए शैक्षणिक कैलेण्ड़र ऐसा होगा, जैसा अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
शैक्षणिक आउटपुट, मूल्यांकन और परीक्षा का संचालन स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	8	(1)	(क) किसी स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर विद्यार्थी के लिए अपेक्षित होगा कि यह संस्थान में अथवा संस्थान द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्थाओं में विभिन्न पाठ्यक्रम संघटकों जैसे लेक्चर, प्रैक्टिकल, कार्यशाला, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों, प्रोजेक्टों आदि के माध्यम से श्रेयांकों की न्यूनतम संख्या अर्जित करे। किसी स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर कार्यक्रम के विद्यार्थी के लिए संस्थान के किसी मार्गदर्शक या पर्यवेक्षक (कों) के अधीन शोध-प्रबंध, प्रोजेक्ट, डिजाइन संग्रहण अथवा अन्य समकक्ष अभिहित शैक्षणिक क्रियाकलाप किए जाने होंगे। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ख) किसी विद्यार्थी को केंद्र निदेशक द्वारा अपने शोध-प्रबंधन, शोध प्रोजेक्ट, डिजाइन संग्रहण और अन्य समकक्ष अभिहित शैक्षणिक क्रियाकलाप को पूर्ण रूप से अथवा उसके एक भाग को संस्थान से बाहर से करने की अनुमति दी जाएगी, बर्शत कि इसकी अनुशंसा स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति द्वारा की गई हो। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ग) विद्यार्थी महानिदेशक के अनुमोदन से शोध-प्रबंध, शोध, प्रोजेक्ट, डिजाइन संग्रहण तथा कोई ऐसा शैक्षणिक क्रियाकलाप देश से बाहर से भी कर सकते हैं बशर्त कि स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली द्वारा इसकी अनुशंसा की गई हो। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (घ) (क) से (ग) तक के उपर्युक्त सभी मामलों में, यदि आवश्यक समझा जाता है, यथास्थिति, केंद्र निदेशक या

			महानिदेशक द्वारा, यथास्थिति, स्थानीय शैक्षणिक मानक समिति या स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली की सिफारिश पर, संगठन या संस्थान या उघोग के बाहर से अतिरिक्त संकाय या प्रर्यवेक्षक नियुक्त किए जा सकिंगे। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (ड.) किसी स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर विद्यार्थी के लिए मूल विषयक्षेत्र के किसी विशेषीकृत विषयक्षेत्र में फैशन प्रौद्योगिकी में, यथास्थिति, स्नातक डिग्री या निष्णात डिग्री प्राप्त करने के ऐसी अवधि के भीतर, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करनी अपेक्षित होगी, जिनमें वे श्रेयांक भी शामिल हैं, जो ऐसी संस्थाओं में, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा मान्यता प्रदान की जाए, ट्विनिंग कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित किए गए है। विविरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। (च) जो विद्यार्थी, वास्तविक कारणों से किसी परीखा में बैठने में असफल रहे हैं, उन्हें अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए तथा सिनेट द्वारा अनुमोदित पुन:परीक्षा संबंधी विनियमों में विनिर्धारित पद्धति के अनुसार पुन:परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। (छ) परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया और पद्धति, परीक्षा निकाय, परीक्षकों और संचालकों के कर्त्तव्य, परीक्षा में शामिल होने की अपनेक्षाओं की पूति तथा परीक्षा में शामिल होने की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा परीक्षा से जुडे सभी अन्य मामले ऐसे होंगे, जैसेकि अध्यादेश 15 के अधीन तैयार किए गए विनियमों में निर्दिष्ट और सिनेट द्वारा अनुमोदित किए जाए। (ज) पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया, ग्रेडों तथा सेमेस्टर ग्रेड पॉइन्ट औसत या संचयी ग्रेड पॉइन्ट औसत प्रदान कने, परीक्षा तथा किसी स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम को संचालित करने से यथासंबद्ध अन्य सभी मामले एसे होंगे, जैसेकि अध्यादेश 15 के अधीन किए गए विनियमों में निर्दिष्ट है और सिनेट द्वारा अनुमोदित किए जाएं। (झ) स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अपेक्षाओं के अलावा, विभाग अपने कार्यक्रमों के अनुकूल अतिरिक्त शैक्षणिक अपनेक्षाएं निर्दिष्ट कर सकेगा। ऐसी अतिरिक्त अपेक्षाओं के लिए सिनेट का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा। (ञ) ये विद्यार्थी जिन्हें संस्थान में प्रवेश दिया गया था और जो इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने से पूर्व अपना अध्ययन जारी रखे हुए थे, उन्हें इस अध्यादेश के निबंधनों तथा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुरूप परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
डिप्लोमा कार्यक्रम		(2)	शैक्षणिक इनपुट की प्रक्रिया और पद्धति, परीक्षा का मूल्यांकन और संचालन तथा विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए अन्य संबंधित किसी मामले को अध्यादेश 15 के लिए अन्य संबंधित किसी मामले को अध्यादेश 15 के अधीन तैयार किए गए विनियमों में निर्धारित किा जाएगा।
सर्टिफिकेट कार्यक्रम		(3)	पाठ्यचर्या, सर्टिफिकेट कार्यक्रम के लिए फार्मेट, सर्टिफिकेट प्रदान करना तथा ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित अन्य मुददेऐसे होंगे जैसा अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।
विद्यार्थी छात्रवृत्ति, पुरस्कार, मेडल और विकासात्मक क्रियाकलाप	**10**	(1)	स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के किसी विद्यार्थी को निफ्ट विकास निधि से ऐसी छात्रवृत्ति, सहायतावृत्ति, शिक्षणवृत्ति अथवा सहायता प्रदान की जाएगी और ऐसे पुरस्कार, इनाम और मेडल दिए जाएंगे जैसे भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों तथा सिनेट के निर्णय के अनुरूप विनियमों में समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम		(2)	विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। संस्थान विद्यार्थीयों को उनके समय व्यक्तिव और कौशलों का विकास करने के लिए शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसे विकासात्मक क्रियाकलापों में प्रतिभागिता के लिए पद्धतियां अध्यादेश 15 के अधीन अनुमोदित विनियमों में निर्धारित किया जाएंगी।
अंतराष्ट्रीय ट्विनिंग और विनियम कार्यक्रम स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	11	(1) (2)	संस्थान में स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पंजीकृत विद्यार्थी और/ अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन रखने वाली किसी विदेशी संस्था में डिग्री के लिए पंजीकृत विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगास तथा एक विद्यार्थी के रूप में कक्षाओं और कार्यशालाओं में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, यदि उन्हें ट्विनिंग और विनियम कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा अधिकारिक रूप से प्रोयोजित किया गया हैं। तथापि, वह अधिकतम अवधि, जिसके लिए विद्यार्थी को सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। ऐसी क्रियाकलापों के लिए चयन प्रक्रियाएं विनियमों में निर्धारित तथा स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली की सिफारिश पर सिनेट द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होंगी। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
अनुशासन और आवरण नियम	12	(1) (2)	संस्थान के किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी को संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी छात्र नियम और विनियम नियमावली में निर्दिष्ट स्थायी आदेशों का पालन करन होगा। ये आदेश परिसर, विभागों, छात्रावासों और बाहरी स्थानों पर छात्रों के अनुशासन से संबंधित होंगे। ये आदेश ऐसे मामलों का भी निपटान करेंगे, जो विद्यार्थीयों, सहशिक्षण और शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक समझे जाएंगे। इन आदेशों का अनुमोदन स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-विद्यार्थी मामले की सिफारिश पर माहनिदेशक द्वारा किया जाएगा। विवरणों को अध्यादेश 15 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विनियमों में निर्धारित किया जाएगा।
संकाय विकास और प्रशिक्षण	13		शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए संकाय प्रशिक्षण और विकास अवसरों की पद्धति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो स्थायी आंतरिक सलाहकार-शैक्षणिक प्रबंधन द्वारा अनुशसित और सिनेट द्वारा अनुमोदित हो, जैसा अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है।
बौद्धिक संपदा अधिकार	14		संस्थान की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के क्रियान्वयन की पद्धति वह होगी, जो अध्यादेश जैसा अध्यादेश 15 के अधीन बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्ट है।
विनियम बनाना	15		उक्ति अध्यादेशों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यादेश और उसके पश्चातवर्ती संशोधन अथवा परिवर्तनों अथवा उसमें किए गए लोगों के अधीन बनाए गए निम्नलिखित विनियम ऐसे होंगे, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएं:- **(क) शैक्षणिक आयोजन और पाठ्यचर्या** • अध्यादेश – 3 (i) – (ख), (ग): • अध्यादेश – 6 (i) – (ख): • अध्यादेश – 7 (i) – (क), (ख), • अध्यादेश – 8 (i) – (क), (ख), (ग), (घ), (ड) • अध्यादेश – 9 (i) – (क), (ख), (ग) **(ख) प्रवेश**

			• अध्यादेश – 3 (i) – (घ), • अध्यादेश –4(i) – (क), (ख), (ग), (घ), (ड),(च),(छ) • अध्यादेश – 5(i) – (क), (घ) • अध्यादेश – 6 (i) – (क) **(ग) छात्र मामले** • अध्यादेश – 5 (i) – (ख) • अध्यादेश – 6 (i) – (ग) • अध्यादेश – 10 (i) – (क), (ख), • अध्यादेश – 11 (i) • अध्यादेश – 12 (i) – (क), (ख) • अध्यादेश – 13 (i) – (क), (ख), **(घ) डिप्लोमा कार्यक्रम** • अध्यादेश – 3 (ii) – (ख) • अध्यादेश – 4 (ii) • अध्यादेश – 5 (ii) • अध्यादेश – 6 (ii) • अध्यादेश – 6 (ii) • अध्यादेश – 7 (ii) • अध्यादेश – 8 (ii) • अध्यादेश – 9 (ii) **(ड) सीई कार्यक्रम** • अध्यादेश – 3 (iii) – (क), (ख) • अध्यादेश – 4 (iii) • अध्यादेश – 5 (iii) • अध्यादेश – 6 (iii) • अध्यादेश – 7 (iii) • अध्यादेश – 8 (iii) • अध्यादेश – 9 (iii) **(ङ) परीक्षा और मूल्यांकन** • अध्यादेश – 8(i) – (ड),(च),(छ)(ज), (झ) **(च) डिग्रियां और अन्य विशेष योग्यताएं** • अध्यादेश – 9(i) – (घ),(ड),(च),(छ) **(छ) संकाय मामले** • अध्यादेश – 13(i) – (क) **(ज) आईपीआर नीति** • अध्यादेश – 14(i) ***शैक्षणिक नियमावली में अध्ययन का संदर्भ***
नियमों का निर्वचन	16	(1)	उक्त अध्यादेशों में किसी भी बात के होते हुए भी, स्नातकपूर्व या स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि, छात्रवृत्ति की राशि और संख्या तथा छात्रों की संख्या और उसकी पद्धति के संबंध में कोई भी विनियम सिनेट, शैक्षणिक मामलों संबंधी समिति, बोर्ड के निर्णय अथवा भारत सरकार के अनुदशों के उल्लघंन में नहीं बनाए जाएंगे।
		(2)	स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए विनियमों में संशोधन स्थायी आंतरिक सलाहकार समिति-शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे, जन पर सिनेट अथवा बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदान किया जाएगा।
आकस्मिक मामले	17		विशेष परिस्थितियों में, सिनेट का अध्यक्ष या बोर्ड का अध्यक्ष, यथास्थिति, सिनेट या बोर्ड की ओर से, किसी अध्यादेश(शों) में ऐसे

			संशोधन, परिवर्तन, निवेशन या लोप अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में किसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक अथवा सामायिक हों: परंतु ऐसे सभी परिवर्तन, यथास्थिति, सिनेट या बोर्ड के सम्मुख अनुमोदन के लिए उसकी अगामी बैठक में लाए जाएंगं।

(मोनिका एस. गर्ग)
महानिदेशक